

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून ।
पत्रांक 2199 / वाद संख्या सी-0767/एस-2/2023

दिनांक 21-7-23

सेवा में,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि श्री तेजपाल सिंह श्री सरोज यादव, एवं श्री गौरव विष्ट शिमल ग्रांट झांडोडा तेहसील डोईवाला देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश योजना एवं विक्रम अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति अनुमोदन एवं मंजूरी लिए बिना अनाधिकृत रूप से लगभग 7 से 8 विघा में भू-विन्यास प्लॉटिंग का कार्य करने के कारण वाद संख्या सी-0767/एस-2/2023 योजित किया गया जिसमें सुनवाई उपरान्त दिनांक 20-7-2023 को ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये हैं। उक्त अवैध निर्माण को दिनांक ~~28/7/23~~ को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल/अतिरिक्त पुलिस बल दिनांक ~~28/7/23~~ को (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराकर हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

भवदीय,

संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

- 1-जिलाधिकारी महोदय देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उक्त तिथि को उक्त कार्य शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु एक मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने की कृपा करें।
- 2-पुलिस अधीक्षक नगर देहरादून को इस आशय से कि उक्त तिथि को ध्वस्त की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु एक क्षेत्राधिकारी को नियुक्त करते हुए पर्याप्त पुलिस बल(महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4-प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता एम0डी0डी0ए0 को अनुपालनार्थ।
- 5-समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/प्रोसेस सर्वर/इलेक्ट्रीशियन को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
- 6-नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक को ध्वस्त करने हेतु 02 वाहन एवं ध्वस्त से सम्बन्धित समस्त सामग्री सम्बन्धित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संयुक्त सचिव,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।